न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्या:—51/2021 (223 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस .संख्या:—2021/84

उनवान

1. गिर्राज प्रसाद पुत्र घूडया | जाति मीना निवासी रूंडी
2. हरसहाय पुत्र गिर्राज | तहसील सपोटरा जिला करौली

....अपीलांटस्।

बनाम

1. मोनिका पुत्री भरोसी पत्नि नीरज जाति मीना निवासी शेखपुरा (किराणा) तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल निवासी ताजपुर रोड गंगापुर सिटी।
2. कल्ला मीणा दत्तक पुत्र श्री भरोसी जाति मीना निवासी रूंडी तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
3. तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

...रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थित:—

1. श्री नेमीचन्द गर्ग अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री जयप्रकाश सैनी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 01।
3. श्री विष्णुचन्द बंसल अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 02।
4. श्री पैरोकार सरकार उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनांक: 02.03.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सपोटरा जिला करौली में दायर वाद पत्र संख्या 90/2017 बउनवान गिर्राज प्रसाद वगैरह बनाम गयाबाई वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.09.2021 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद पत्र मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली क[illegible] इस आशय का पेश किया कि खसरा नंबर 236 रकबा 4 बीघा [illegible] बीघा, 130 रकबा 01 बीघा 8 बिस्वा, 222 रकबा 1 बीघा [illegible] 292 रकबा 1 बीघा [illegible] बिस्वा, 315/211 रकबा 2 बिस्वा स्थित है तथा ग्राम कु[illegible]गांव तहसील सपोटरा [illegible] हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी

खसरा नंबर 574 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, 81 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा स्थित है। खसरा नंबर 81 मे घूडया व छीतर आपस मे सहखातेदार है। घूडया के स्वर्गवास होने के पश्चात् खसरा नंबर 81 के अलावा समस्त भूमि गिर्राज एवं भरोसी के नाम दर्ज कर दी गयी। तब जलबाई बेवा घूडया ने दावा पेश किया कि घूडया की आराजीयात मे से उसका भी हिस्सा 1/3 है। जलबाई ने अपने जीवनकाल मे अपने हिस्से की भूमि को हरसहाय पुत्र गिर्राज के हक मे तहरीर कर दी। इस संबंध मे वादीगण गिर्राज एवं जलबाई द्वारा अपने हक मे घोषणात्मक रिलिफ चाही है कि घूडया की छोडी गई समस्त खातेदारी मे गिर्राज एवं जलबाई को हिस्सा 2/3 का खातेदार टीनेन्ट घोषित फरमाया जावे तथा खसरा नंबर 81 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा मे वादीगण का हिस्सा 1/6, 1/6 दर्ज किया जावे। मातहत अदालत द्वारा दिनांक 01.09.21 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अदालत मातहत ने दिनांक 23.03.2005 को कायम की गयी तनकी नंबर का निर्णय वादीगण के हक मे पारित किया है तथा तनकी नंबर 2 दिनांक 23.03.2005 को कायम की है। उक्त तनकी के मुताबिक मद नंबर 2 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। उक्त तनकी दिनांक 28.09.2005 को कायम की है। दिनांक 23.03.2005 को कायम की गयी तनकी संख्या 02 व दिनांक 28.09.2005 को कायम की गयी। तनकी संख्या 03 का निर्णय एक साथ किया है। उक्त तनकी मे अदालत मातहत द्वारा घूडया के मरने के बाद घूडया के वारिस गिर्राज, भरोसी, जलबाई को हिस्सा 1/3–1/3 कानून मालिक होना माना है। लेकिन जलबाई की मृत्यु दिनांक 08.12.2008 हो जाने पर उसका हिस्सा उसके दोनो पुत्रो मे समायोजित हो जाता है। अदालत मातहत ने यह मानकर हरसहाय के हक मे जलबाई को वसीयत करने का अधिकार न मानते हुये उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व तय की है। उक्त तनकीयों को निर्णित करते हुये अदालत मातहत ने निर्णित किया है कि ओल्ड हिन्दू लॉ मे विधवा को पति से मिलने वाली जायदाद को ट्रान्सफर करने का अधिकार नही था निर्णित करने मे कानूनी भूल की है। जबकि ओल्ड हिन्दू लॉ मे पति द्वारा पत्नि को स्वयं के गुजारे के लिये जो भूमि दी गयी है उसे ट्रान्सफर करने का अधिकार नही था। लेकिन मातहत अदालत ने कानूनी प्रावधानो की गलत रूप से विवेचना कर तनकी संख्या 2 व 3 को अपीलाथीगण के विरूद्व निर्णित करने मे कानूनी भूल की है तथा तनकी संख्या 3 जो दिनांक 28.09.05 को कायम की है। उक्त तनकी मे छीतर के वारिसान को पक्षकार न बनाने पर धारा 211 आर.टी.एक्ट के प्रावधानोके आधार पर तनकी संख्या 3 को वादीगण के विरूद्व निर्णित करने मे कानूनी भूल की है। जबकि खसरा नंबर 81 के सहखातेदार को पक्षकार न बनाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर (राज०)

पर खसरा नंबर 81 के संबंध मे ही दावा निर्णित करना चाहिये था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री दिनांक 01.09.21 को अपास्त किया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो० को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन अभिव्यक्त किए कि अदालत मातहत का उक्त निर्णय प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य व विधि विरूद्व होने से वादीगण के विरूद्व प्रभावहीन है। उक्त निर्णय राजस्व मण्डल मे अदालत मातहत के विरूद्व प्रस्तुत किये गये ट्रान्सफर एप्लीकेशन की अवहेलना करके पारित किया है जो निर्णय की तारीफ मे नही आता है। इस संबंध मे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने आर.आर.टी. 2001 पेज 75 मे यह मत प्रतिपादित किया है कि जहां अपर कोर्ट मे ट्रान्सफर एप्लीकेशन पेश हो चुकी है। उस प्रार्थना पत्र मे स्थगन न होते हुये भी अदालत मातहत को उक्त प्रार्थना पत्र को स्थगन मानकर ही कार्यवाही रोक देनी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत ने अपने स्वयं के उपर ट्रान्सफर एप्लीकेशन मे लगाये गये आक्षेपो की परवाह न करते हुये उक्त निर्णय पारित कर दिया। जबकि अदालत मातहत को ट्रान्सफर एप्लीकेशन के विचाराधीन रहते निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नही था। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर भी कतई गौर नही फरमाया कि वसीयत को साबित करने के लिये एक अटेस्टेड गवाह की साक्ष्य होना ही पर्याप्त है तथा वसीयत को सिविल कोर्ट से निरस्त किये बिना वसीयत को संदिग्ध मानकर उक्त निर्णय पारित किया है जो अपास्त योग्य है। आगे कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा घूडया के मरने के बाद घूडया के वारिस गिर्राज भरोसी जलबाई को 1/3-1/3 कानूनन मालिक माना है लेकिन जलबाई की मृत्यु 08.12.2008 को हो जाने पर उसका हिस्सा दोनो पुत्रो को समायोजित होना मानकर अदालत मातहत ने यह माना की हरसहाय के हक में जलबाई को वसीयत करने का अधिकार न मानते हुये उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व तय की है उक्त तनकीयों को निर्णित करते हुये अदालत मातहत ने निर्णय में ओल्ड हिन्दू लॉ में विधवा को पति से मिलने वाली संपत्ति को ट्रान्सफर करने का अधिकार नही मानकर तनकी संख्या 02 व 03 अपीलार्थीगण के विरूद्व निर्णित करने मे भूल की है। 28.09.2005 को निर्णित तनकी संख्या 02 के संबंध मे कथन किया गया कि [illegible] कोई पुत्र न होने पर भरोसी व गयाबाई द्वारा कल्ला को रस्मोरिवाज [illegible] गोद लिया गया है। भरोसी के स्वर्गवास पर गंगाजी लेकर [illegible] व पगड़ी [illegible] रस्म कल्ला के ही की गई है। गवाह बयानो द्वारा भी यही कथन किए गए [illegible] अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:52 IST
Reason: SelfAttested

(ह)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर (राज०)

मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री दिनांक 01.09.2021 अपास्त की जावे। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील के समर्थन में दृष्टांत **2012(1) आर.आर.टी. 431 ,2002 डी.एन.जे. पेज 85, 2012(1) आर.आर.टी. 437, आर.बी.जे. (14) 2007 पेज 114,आर.आर.डी. 2002 पेज 31, आर.आर.डी. 1991 पेज 476** पेश किए।

6. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने कथन किये कि जलबाई का विवादित आराजीयात से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक नही है। अनुसूचित जनजाति मे पुरूष वारिस होने पर महिला व पुत्री के कोई अधिकार नही होते है। कल्ला गिर्राज अपीलांट/वादी संख्या 01 का पुत्र है जिसे गलत तरीके से अपील मे रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बनाकर दत्तक पुत्र भरोसी दर्ज कर दिया है। कल्ला उर्फ कैलाश को भरोसी व गयाबाई पत्नि भरोसी द्वारा कभी भी गोद नही लिया ना ही कोई गोद की रस्म हुई है। कल्ला गिर्राज का पुत्र है और गिर्राज की जमीन जायदाद पर काबिज काश्त है। भरोसी का कोई पुरूष वारिस नही है। मातहत अदालत द्वारा भी भरोसी की संपत्ति का उत्तराधिकारी मोनिका पुत्री भरोसी को ही माना है। मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री सही व विधिक है। अतः अपील अपीलांट खारिज जावें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनों के समर्थना में दृष्टांत **आर.आर.डी. 1989 पेज 103, 2013 डी.एन.जे. (एस. सी.) 498, 2015(4) डी.एन.जे. (राज.) 484** पेश किए।

7. उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

8. रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2027–2030 वाके ग्राम कुडगांव तहसील सपोटरा के खसरा नंबर 574 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा घुडया पुत्र मुर्ली जाति मीना निवासी रूंडी के खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2056–2059 प्रदर्श 1 में आराजी खसरा नंबर 574 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 9 बीघा 12 बिस्वा गिर्राज, भरोसी पुत्र घुडया जाति मीना निवासी रूण्डी के खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2058–2061 वाके ग्राम रूण्डी पटवार क्षेत्र कुडगांव तहसील सपोटरा खसरा नंबर 236 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 43 रकबा 3 बीघा, 130 रकबा 01 बीघा 8 बिस्वा, 222 रकबा 1 बीघा 21 बिस्वा, 292 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 315/211 रकबा 2 बिस्वा गिर्राज प्रसाद, भरोसी पिसरान घूडया जातिमीना सा0 देह समान हिस्सा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट अपील द्वारा अपील का मुख्य आधार दिनांक 28.09.2005 को अदालत मातहत मे कायम की गई तनकीयात के निर्णय विरुद्ध यह अ[illegible] की गई है। दिनांक 28.09.2005 को तनकी नंबर 02 निम्ना[illegible] है: "[illegible] संख्या 02 भरोसी का दत्तक पुत्र होने के आधार पर भरोसी के हिस्से में [illegible]/3 हिस्सा अपने नाम कराने का हकदार है?"

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर (राज०)

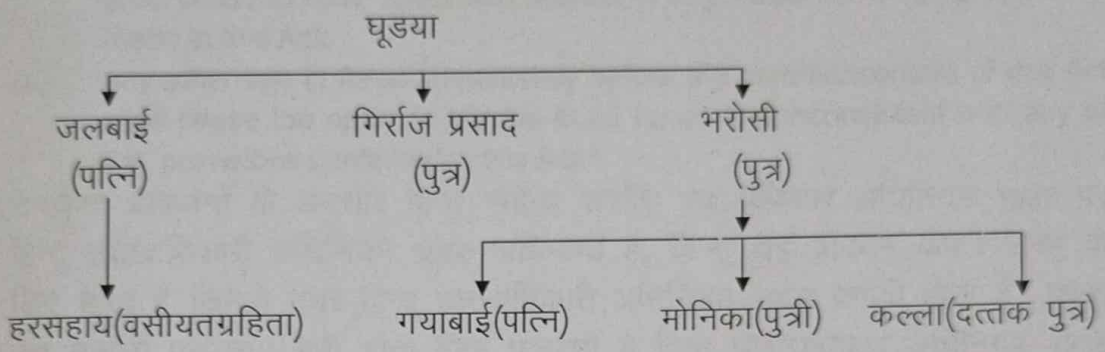

अदालत मातहत द्वारा यह तनकीयात अपीलांट/वादीगण के विरूद्व तय की गई है जो विधि विपरीत है, सही विवेचन इस प्रकार है:–

घूडया
जलबाई (पत्नि) — गिर्राज प्रसाद (पुत्र) — भरोसी (पुत्र)
जलबाई (पत्नि) → हरसहाय(वसीयतग्रहिता)
भरोसी (पुत्र) → गयाबाई(पत्नि) — मोनिका(पुत्री) — कल्ला(दत्तक पुत्र)

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

घूडया की मृत्यु के उपरान्त उसका विरासत नामन्तकरण प्रदर्श नंबर 1 व 2 के अनुसार केवल उसके पुत्रो के नाम ही उत्तराधिकार तस्दीक किया गया जबकि उसकी पत्नी जलबाई के नाम नामान्तकरण तस्दीक नही किया गया। अदालत मातहत द्वारा नामन्तकरण तस्दीक करने को विधिक रूप से भारतीय उत्तराधिकार नियम 1925 की धारा 63 व पंजीयक अधिकारी धारा 63 के आधार पर मृतक जलबाई का उसके मृतक जलबाई का उसके मृतक पति की विरासत में अधिकार नही माना और इस आधार पर मृतक जलबाई द्वारा की गई वसीयत को भी अविधिक मान्य करते हुए हरसहाय के अधिकारों की घोषणा का दावा भी खारिज कर दिया गया।

9. अदालत मातहत द्वारा यह विवेचना अविधिक रूप से बिना विधिक की सही व्याख्या किए ही किया गया है। सही व्याख्या इस प्रकार है:–

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दिनांक 17.06.1956 को अस्तित्व मे आया, इसके अनु0 2 के उप अनु0 2 का प्रावधान इस प्रकार है:–

Hindu Succession Act, 1956 came into force on 17-06-56 The very section relating to the application of the provisions of the Act i.e. Section 2 in Sub-section 2 provides as under:-

"(2) Notwithstanding anything containeed in sub-section (1), nothing contained in this Act shall apply to the members of any Scheduled Tribe within the meaning of clause (25) of Article 366 of the Constitution unless the Central Government, by notification in the Official Gasette, otherwise directs."

निश्चित ही इस प्रकरण में पक्षकार अनुसूचित जनजाति के है। इस प्रकार उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार यदि कोई निर्वसीयत मर जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर (राज0)

है। तो उपर्युक्त प्रावधान लागू होंगे। इसी अधिनियम की धारा 4 उपर्युक्त प्रावधान पर वरीयता रखती है जो इस प्रकार है:–

"4. Over riding of Act-(1) Save as otherwise expressly provided in this Act-

(a) any text, rule or interpretation of Hindu law or any custom or usage as part of that law in force immedialtely before the commencement of this Act shall cease to have effect with respect to any matter for which provision in made in this Act;

(b) any other law in force immediately before the commencement of this Act shall cease too apply to Hindus in so far as it is inconsistent with any of the provisions contained in this Act."

10. उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार हिन्दू महिला संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1937 पर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 अधिमान्य है, किन्तु यह प्रावधन केवल उन्हीं के लिए मान्य है जिनके उपर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 प्रभावी होता है। परन्तु उन मामलों पर लागू नही होता जिन प्रकरणों मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नही होता। इस प्रकार हिन्दू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937 के प्रावधान अभी भी अनुसुचित जनजाति की महिलाओ पर प्रभावी है क्योकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसुचित जनजाति पर लागू नही होता है। अदालत मातहत द्वारा बिना न्यायिक विवेक का उपयोग किए ही यह व्याख्या करना कि अनुसुचित जनजाति की विधवा महिला के उपर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नही होता का निष्कर्ष बिना इस अधिनियम की धारा 4 व हिन्दू महिला संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1937 के पावधानों के बिना अवलोकन किए ही निष्कर्ष कर तनकी का निर्णय किया है जो अपास्त योग्य है खारिज योग्य है।

इस प्रकार हिन्दू महिला संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1937 वर्तमान समय मे भी अनुसुचित जनजाति महिलाओं पर प्रभावी है जब तक की केन्द्रीय सरकार द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में अनुसूचित जनजाति संबंधी प्रावधान की कोई अधिसुचना प्रकाशित नही की जावें।

इस आधार पर मृतक जलबाई बेवा घूडया, घूडया की विवादित आराजीयात में पुत्रो के समान ही हक अधिकार रखती है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर तनकी नंबर 2 दिनांक 28.09.05 अदालत मातहत के निर्णय को निरस्त किया जाता है। जलबाई को मृतक घूडया की विवादित आराजी मे 1/3 हिस्से एवं उसके दोनो पुत्रो गिर्राजप्रसाद व भरोसी का भी 1/3--1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:52 IST
Reason: SelfAttested

11. अदालत मातहत द्वारा दिनांक 2[illegible] तनकी कायम की गई है जो इस प्रकार है:– **"आया वादीगण [illegible] खातेदार काश्तकार की घोषणा कराने के अधिकारी है?"** उक्त तनकी की विवे[illegible] अदालत मातहत तनकी नंबर 01

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर (राज०)

के निर्णय के आधार पर ही कर वादी/अपी0 के विरूद्व तय की गई है जो विधि व कानून के विपरीत है। सही विवेचन इस प्रकार हैः–

अदालत मातहत द्वारा इस आधार पर की वादी/अपीलांट संख्या 02 मृतक जलबाई की संपत्ति में अधिकार साबित नही कर पाया है और वसीयत के आधार पर स्वामित्व व स्वत्व साबित करने मे असफल रहा है, अदालत मातहत द्वारा कानून सही व्याख्या नही की गई है।

सही व्याख्या इस प्रकार है जैसा कि तनकी 02 के विवेचना से जलबाई को मृतक घूडया की बेवा होने के कारण हिन्दू महिला संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1937 के अनुसार घूडया की विवादित आराजीयात में से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है। मृतक जलबाई द्वारा उसके संपूर्ण हिस्से की विवादित कृषि भुमि आराजीयात की वसीयत (प्रदर्श–1) दिनांक 11.09.04 को हरसहाय पुत्र गिर्राज प्रसाद जाति मीना निवासी रूण्डी के हक मे किया गया है। वसीयत की वैधता के सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत यहां चस्पा नही होते है। राजस्थान राज्य में वसीयत को "प्रोवेट" करवाना अनिवार्य नही है। यह सिद्वान्त दृष्टांत **2002 डी.एन.जे. पेज 85** पर प्रतिपादित किया है। इस प्रकार अदालत मातहत वसीयतनामा की वैधानिकता बिना श्रवणाधिकार के ही निर्णित किया गया है, जो विधि विपरीत है, अपास्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत यहां चस्पा होते है।

इस कारण जब तक वसीयत सिविल न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नही कर दी जाती तब तक जलबाई के हिस्से की आराजीयात मे वसीयत ग्रहिता का हक संन्निहित हैं। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर तनकी पर अदालत मातहत के निर्णय के निरस्त किया जाता है। मृतक जलबाई द्वारा की गई वसीयत के आधार पर मृतक जलबाई के स्थान पर वसीयत ग्रहिता अपीलांट संख्या 02 हरसहाय को मृतक घूडया की आराजीयात मे से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

दिनांक 28.09.05 को कायम तनकीयात संख्या 02 जो इस प्रकार हैः–" **आया प्रतिवादी संख्या 03 भरोसी का दत्तक पुत्र होने के आधार पर भरोसी के हिस्से मे से 1/3 हिस्सा अपने नाम कराने का हकदार है ?**" अदालत मातहत द्वारा इस तनकी को विरूद्व प्रतिवादी संख्या 03 के तय की गई है। तनकी की व्याख्या अदालत मातहत द्वारा स्वतंत्र साक्ष्यों की गवाही के संदर्भ में सही नही की गई है। अदालत मातहत द्वारा गवाह गिर्राज, मोनिका रेस्पो संख्या 03 कल्ला पुत्र हरचन्द की गवाही व इनसे जिरह का जवाब का अवलोकन किया ही नियम विरूद्ध निर्णय किया है जो अपास्त योग्य है। अपास्त किया जाता है। अदालत मातहत को साक्ष्य का विवेचन करते हुए इस तनकी पर पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर (राज0)

12. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के मुकदमा नंबर 90/2017 बउनवान गिर्राज प्रसाद वगैरह बनाम गयाबाई वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.09.2021 को अपास्त किया जाता है तथा अपील अपीलांट इस हद तक स्वीकार की जाती है कि अपीलांट संख्या 02 को मृतक घूडया की विवादित आराजी में से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तनकी 02 दिनांक 28.09.05 के निर्णय को निरस्त कर पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रतिपेषित की जाती है कि "गोदनामा" के संदर्भ मे गवाहों व साक्ष्यों की भी विवेचना पर पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।
13. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 02.02.2023 को सुनाया गया।

02.02.2023

(हरि राम मीना)
पार्श्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री अपील

(ओ.41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–बइजलास श्री हरिराम मीना आर. ए. एस. राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उनवान

1. गिर्राज प्रसाद पुत्र घूडया
2. हरसहाय पुत्र गिर्राज

जाति मीना निवासी रूंडी तहसील सपोटरा जिला करौली

....अपीलांटस्।

बनाम

1. मोनिका पुत्री भरोसी पत्नि नीरज जाति मीना निवासी शेखपुरा (किराणा) तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल निवासी ताजपुर रोड गंगापुर सिटी।
2. कल्ला मीणा दत्तक पुत्र श्री भरोसी जाति मीना निवासी रूंडी तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
3. तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

...रेस्पोडेन्टस्।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

अपील संख्या :51/2021
जी.सी.एम.एस संख्या :2021/84
अपील विरूद्व आज्ञाः उपखण्ड़ अधिकारी सपोटरा

(धारा 223 आर.टी.एक्ट)
दिनांक 02.02.2023

यह अपील व तारीख 02.02.2023 रूबरू हमारे व हाजरी श्री नेमीचन्द गर्ग अधिवक्ता अपीलांट व हाजरी श्री जयप्रकाश सैनी व श्री विष्णुचन्द बंसल एड. मिनजानिब रेस्पो. समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के मुकदमा नंबर 90/2017 बउनवान गिर्राज प्रसाद वगैरह बनाम गयाबाई वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.09.2021 को अपास्त किया जाता है तथा अपील अपीलांट इस हद तक स्वीकार की जाती है कि अपीलांट संख्या 02 को मृतक घूडया की विवादित आराजी में से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तनकी 02 दिनांक 28.09.05 के निर्णय को निरस्त कर पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रतिपेषित की जाती है कि "गोदनामा" के संदर्भ मे गवाहों व साक्ष्यों की भी विवेचना पर पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 02.02.2023 को जारी किया गया।

02.02.2023

मुहर

हस्ताक्षर अधिकारी व मुहर
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:52 IST
Reason: SelfAttested